न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1772/2026

दरौली थाना कांड सं0–119/2024 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा–302 भा.द.वि. एवं धारा 3(2)(v) अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ0नि0) अधिनियम

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–438 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

सुमन पासवान उर्फ भोला पासवान..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः–श्री ललन सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक/अभियुक्त की ओर से
श्री भागवत राम, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

21.07.2026

आवेदक/अभियुक्त सुमन पासवान उर्फ भोला पासवान की ओर से दरौली थाना कांड सं0–119/2024, अंतर्गत धारा–302 भा.द.वि. एवं धारा 3(2)(v) अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ0नि0) अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचिका कलावती देवी के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सूचिका के पति दोन बाजार में छोटी सी साईकिल रिपेयरिंग की दुकान चला कर अपना तथा अपने परिवार का भरण–पोषण करते थे। सूचिका के पति दिनांक 25.04.2024 को प्रतिदिन की तरह अपने दुकान सुबह 10 बजे गये तथा रात्रि में घर लौटकर वापस नहीं आये, सुबह जब सूचिका ने अपने पति का खोज बीन किया तब सूचिका के पति की लाश उनके दुकान के अंदर में पड़ी हुई मिली तथा सूचिका के पति का सिर खुन से लथफथ था तथा सूचिका के पति की मृत्यु हो गयी थी। सूचिका को पूरा उम्मीद एवं विश्वास है कि अज्ञात लोगो द्वारा सूचिका के पति की असामयिक एवं निर्मम हत्या कर दिया गया है। अब सूचिका का पूरा परिवार बर्बाद हो गया तथा सूचिका का परिवार भूखमरी के कगार पर आ गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसे झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त स्वच्छ छवि का व्यक्ति है तथा उसके विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया कि मामले में आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद नहीं है, बल्कि गिरफ्तार अभियुक्त अरूण कुमार कुशवाहा के द्वारा दिए गये अपने स्वीकारोक्ति बयान में आवेदक/अभियुक्त का नाम कथित अपराध में संलिप्तता के संदर्भ में लिया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्पष्ट व विशिष्ट आरोप नहीं है।

लगातार
21.07.2026

आवेदक/अभियुक्त के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है और न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा, उसका वह पालन करेगा। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत निवेदन का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ0नि0) अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए अभियोग के संदर्भ में कांड दैनिकी में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः बचाव पक्ष के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनु.जा./अनु. ज.जा. (अ0नि0) अधिनियम की धारा 18 एवं 18A से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है। अतएव, अभियोजन पक्ष की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत दरौली थाना कांड सं0–119/2024, अंतर्गत धारा–302 भा.द.वि. एवं धारा 3(2)(v) अनु.जा./अनु.ज.जा.(अ0नि0) अधिनियम, अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा सूचिका के पति की निमर्मता पूर्वक हत्या कारित करने के अपराध के लिए संस्थित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त यद्यपि प्राथमिकी का अभियुक्त नहीं है किंतु उसके कथित अपराध में संलिप्तता का साक्ष्य इस वाद के सह अभियुक्त अतुल कुमार कुशवाहा के द्वारा दिये गये संस्वीकृति बयान के आधार पर आया है(कांड दैनिकी की कंडिका 94 में वर्णित)। अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य के क्रम में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है (कांड दैनिकी की कंडिका 25, 66, 67 में वर्णित)। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस वाद के सह अभियुक्त अतुल कुमार कुशवाहा के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् धारा–302 भा.द.वि. एवं धारा 3(2)(v) अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ0नि0) अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है और आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त सुमन पासवान उर्फ भोला पासवान के द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार, आवेदक/अभियुक्त सुमन पासवान उर्फ भोला पासवान की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

ह0/–

(सुशील कुमार त्रिपाठी)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सिवान।